न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/612

बरजी बाई आयु बालिग पुत्री सुखदेव पत्नी श्री जगदीश जाति लुहार निवासी जलौदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर आयु 50 वर्ष आत्मज श्री बरधी उर्फ बरधा जाति लुहार निवासी ग्राम जलौदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. रामराज आयु बालिग आत्मज हीरालाल जाति लुहार निवासी ग्राम जलौदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. श्याम बिहारी आयु बालिग आत्मज हीरालाल जाति लुहार निवासी ग्राम जलौदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. मेतीलाल आयु बालिग आत्मज हीरालाल जाति लुहार निवासी ग्राम जलौदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. विष्णु भगवान आयु बालिग आत्मज हीरालाल जाति लुहार निवासी ग्राम जलौदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, श्री तृप्ती गौरव बाहेती, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांकः 10.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि पक्षकारान एक ही वंशज के सदस्य हैं । ग्राम जलौदी में पक्षकारान के संयुक्त खाते की आराजी

थी जिसका पारिवारिक सहमति से पक्षकारान के मध्य विभाजन हो गया था । वादीगण को प्राप्त भूमि में आने–जाने हेतु पूर्वजों के समय से भूमि खसरा संख्या 384 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा जो वर्तमान में प्रतिवादी बरजी बाई के खाते दर्ज है की उत्तरी सीमा पर होता हुआ वादीगण की भूमियों की उत्तरी मेड पर होता हुआ कुआ खसरा नम्बर 383 तक पहुंचता है । उक्त रास्ते का उपयोग –उपभोग वादीगण अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्बाध रूप से करते चले आ रहे हैं । रास्ते की भूमि विभाजन में प्रतिवादी श्रीमती बरजी बाई के हिस्से व खाते में आ जाने के कारण उसकी नियत में बदयान्ति आ गई है और वह वादीगण को पूर्व की भांति उपरोक्त रास्ते पर से अपने खाते की वादपत्र की चरण संख्या 3, 4 व 5 में वर्णित कुआ पर जाने–जाने हेतु मना करने लग गई है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादपत्र की चरण संख्या 3, 4 व 5 में वर्णित आराजीयात पर अपने जाने–जाने कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा की उत्तरी मेड पर 15 फिट चौडा रास्ता वादीगण को कायम करवायें ताकि कुवा खसरा नम्बर 383 तक पहुंचा जा सके ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित आराजी तथा चरण संख्या 5 में वर्णित कुआ में आने–जाने हेतु वादपत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 384 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा में से उत्तरी मेड पर 15 फिट चौडा रास्ता वादीगण को दिलवाया जाकर सुखाधिकार की घोषणा की जावे तथा इस हेतु वादीगण से नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर पर राशि जमा करवायी जाकर वादीगण को मुहैया करवाया जावे । विकल्प में यह भी निवेदन है कि जब तक वादीगण को उक्त रास्ता मुहैया नहीं हो सके तब तक प्रतिवादी बरजी बाई को पाबन्द किया जावे कि वे खसरा नम्बर 384 की उत्तरी पेड पर होकर वादीगण को अपनी खाते की आराजी पहुंचने हेतु रास्ते के उपयोग –उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.05.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा में से 1250 वर्ग फिट नया मार्ग सृजित करने तथा वर्तमान डीएलसी दर की दोगुना राशि अप्रार्थी क्रम 1 के लिए भुगतान करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 1 बरजी बाई अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि लोक अदालत की अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक राजीनामा भी पेश नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिसकी प्रार्थिया अपीलान्ट को कोई जानकारी

नहीं है । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अप्रार्थी कम 1 लगायत 5 द्वारा मौके पर प्रार्थिया के खाते की भूमि में से होकर जबरन रास्ता बनाने का प्रयास करने पर प्रार्थिया द्वारा नया रास्ता बनाने से मना करने पर दिनांक 22.11.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने उपखण्ड अधिकारी, तालेडा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए का पेश कर रास्ता कायम करने की प्रार्थना की । पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रास्ता कायम किया गया है बिना साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित हुए हैं । असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई है, जबकि 251 ए के तहत आई0एल0आर0 से नीचे के अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने धारा 251ए के तहत रास्ता कायत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई है । अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र में विकल्प में डीएलसी की 03 गुना राशि दिलवाए जाने का कथन किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने डी0एल0सी0 के 02 गुना राशि अपीलान्ट को दिये जाने पर रास्ता कायम किया है । रिपोर्ट तहसील से प्राप्त की गई है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । पत्रावली पर जो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है वो पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई है जबकि धारा 251ए के तहत रास्ता कायम करने हेतु आई0एल0आर0 से नीचे के अधिकारी के स्तर की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा

सकती । रिपोर्ट में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्
उपलब्ध नहीं है जबकि 251ए के तहत उसी परिस्थिति में रास्ता कायम किया जा सकता है
कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो । प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया है
रास्ता पूर्व में मौजूद है और उन्हें सुखाधिकार प्राप्त है और प्रार्थना में 15 फिट चौंडा रास्
कायम कर सुखाधिकार की घोषणा करने की प्रार्थना की गई है और डी0एल0सी0 दर से रास्
कायम करने का अभिकथन किया गया है । यदि पूर्व में कोई रास्ता उपलब्ध है और अपीला
को सुखाधिकार है तो अपीलान्ट 251 के तहत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत अथवा तहसीलदार
समक्ष पेश कर सकते हैं और यदि नया रास्ता कायम किया जाना है तो 251ए के तहत प्रार्थ
पत्र प्रस्तुत किया जाता है । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दोनों ही तथ्यों को समेकित
दिया है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है जब
लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कि
प्रकार का कोई राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों
निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इस
अभाव में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते
गुणावगुगण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्व
पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय
प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीन
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीन
न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं सा
आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पैरा संख्या 11 एवं 12 में किये
विवेचन के अनुसार नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाब
किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा